157

जिला योजना (एस0सी0एस0पी0)
संख्याः —/I/2013–03(1)/24/10

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली,
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 16 जुलाई, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013–14 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 एवम् शासनादेश संख्याः–329/XXVII(1)/2013, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के क्रम में शासनादेश सं0–582/I/2013–03(1)/24/10, दि0 07 मई, 2013 द्वारा उरेडा की जिला योजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु जनपदों के लिये कुल रू0 70.61 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी थी। इस स्वीकृत धनराशि में जनपद टिहरी के लिये रू0 0.50 लाख का आवंटन किया गया था। इस सम्बन्ध में मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा के पत्र सं0–872, दि0–06–07–2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला टिहरी को आवंटित धनराशि के सापेक्ष परिव्यय उपलब्ध नहीं है। अतः टिहरी को आवंटित धनराशि समर्पित करते हुये इस राशि को जिला योजना में जनपद चमोली में इस मद में परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर रू0 0.50 लाख आवंटित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी आख्या को दृष्टिगत रखते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना हेतु शासनादेश सं0–582/I/2013–03(1)/24/10, दि0 07 मई, 2013 द्वारा उरेडा को जिला योजना (एस0सी0एस0पी0) 2013–14 हेतु जनपद टिहरी के लिए अवमुक्त धनराशि रू0 0.50 लाख निरस्त कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को जनपद चमोली हेतु जिला सेक्टर में अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ **रू0 50–00 हजार (रूपये पचास हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुरक्षण समितियों द्वारा अनुमोदित योजनावार एवं प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।

2– व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्शियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज, मूल्य मितव्ययता, टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को दिनांक 31.03.2014 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजनाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः

5– केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं पर केन्द्रांश एवं राज्यांश अवमुक्त किये जाने के बाद ही कोषागार से आवश्यक धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

8– जिलाधिकारी द्वारा कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।

9– जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रस्तर–1 में वर्णित शासनादेश दिनांक 30.03.2013 में निहित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

10– नये कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।

11– सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्यमंत्री जी/मुख्य सचिव) अर्थात् सक्षम स्तर को कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जायेगा।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–30 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्रोत–800–अन्य व्यय 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 91– उरेडा/नेडा के लिए अनुदान (जिला योजना) 50–सब्सिडी आयोजनागत की सुसंगत मानक मदों के नामे में डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
अनु सचिव।

संख्याः–1305/I/2013–03(1)/24/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखंड।
3– निदेशक, उरेडा, देहरादून।
4– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
5– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड शासन।
6– मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा, देहरादून।

क्रमशः----

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Power (S037)

आवंटन पत्र संख्या - 1300/I/2013-03(1)/24/2010

अनुदान संख्या - 030

अलोटमेंट आई डी - S1307300083

आवंटन पत्र दिनांक - 15-Jul-2013

HOD Name - DM Chamoli (8003)

1: लेखा शीर्षक 2810 - वैकल्पिक उर्जा

800 - अन्य व्यय

91 - उरेडा/नेडा के लिए अनुदान (जिला योजना)

60 - ऊर्जा के अन्य स्रोत

02 - अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	300000	0	300000
50 - सब्सिडी	0	50000	50000
	300000	50000	350000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - **50000**